न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस०सी०/एस०टी० एक्ट),फिरोजाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण प्रा०पत्र सं०– 1612/2022

मनोज कुमार.....बनाम.....शिव कुमार उपाध्याय

अन्तर्गत धारा–156(3) द० प्र० सं०

थाना– एका, जिला–फिरोजाबाद

दिनांक 29–10–2022

प्रस्तुत पत्रावली आज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० पर सुनवाई हेतु नियत है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

संक्षेप में आवेदक द्वारा धारा 156(3) द०प्र०सं० प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आवेदक अनुसूचित जाति जाटव जाति का व्यक्ति है। विपक्षी सामान्य जाति ब्राह्मण जाति से सम्बन्धित है। आवेदक दिल्ली व नोयडा में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी लम्बे समय से करता चला आ रहा है इसी दौरान विकास शर्मा जो बिल्डर है तता दबंग व प्रभावशाली होने के कारण उसके द्वारा जाति सूचक शब्द चमरा, ढेडा कहकर गाली–गलौज दिये जाने के कारण उससे विवाद हो गया था उसी द्वेषभाव के कारण उसने आवेदक के विरूद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र थाना एका में जरिये डाक रजिस्ट्री भेजा तथा तत्कालीन चौकी इन्चार्ज झाल गोपालपुर नियुक्ति थाना एका फिरोजाबाद शिव कुमार उपाध्याय जो शिकायतकर्ता विकास शर्मा का सम्बन्धी है। चौकी इन्चार्ज के कहने पर शिकायती प्रार्थना पत्र थाना एका में भेजा गया था उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर विपक्षी तत्कालीन चौकी इन्चार्ज झाल गोपालपुर शिव कुमार उपाध्याय दिनांक 23–09–2022 रात 09.00 बजे आवेदक के घर में घुस आये और माँ–बहन की गन्दी–गन्दी जाति सूचक शब्द चमरा ढेडा गालियां देते हुए धमकाते हुए कि साले तू ज्यादा नेता बनता है तेरे दिमाग खराब हो गये है। आवेदक को जमीन पर डालकर बुरी तरह से बेल्ट व डण्डें से मारपीट की, परिजन बचाने आये तो उन्हें भी गाली–गलौज व गन्दी–गन्दी जाति सूचक गालियां दी। आवेदक को चुटैल हालत में पकड़कर चौकी झाल गोपालपुर लायेऔर रात भर बंधक बनाकर चौकी पर रखकर पूरी रात मारपीट की अगले दिन चौकी से ले जाकर थाना एका में बन्द कर दिया और पुनः बुरी तरहसे मारपीट की तथा अवैधानिक रूप से बंधक बनाकर थाने में रखा तथा दिनांक 25–09–2022 को 50,000/– रूपये चौकी इन्चार्ज शिव कुमार उपाध्याय ने लेकर छोड़ा और धमकी दी कि किसी को बताया तो तेरे खिलाफ मुकदमा लिखकर तुझे जेल भेज देंगे। आवेदक के गंभीर चोटे होने के कारण विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु शिकायती प्रार्थना पत्र थाना एका पर दियाऔर आवेदक ने अपना मेडिकल कराये जाने के लिए कहा तो थाना एका पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की न ही उसकी मेडिकल कराया तथा थाने से भगा दिया। तो उसने प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को पत्र भेजे किन्तु फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र के संदर्भ में थाना एका से आख्या को आहूत करने पर प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में किसी भी आपराधिक मुकदमें को पंजीकृत नहीं किये जाने के संदर्भ में आख्या को दिया गया है।

मैंने आवेदक/प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना व पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में आवेदक के पास स्वयं साक्ष्य उपलब्ध है, जिसे वह न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एप्लीकेशन धारा 482 सं० 1284/2021 **सोनी देवी बनाम स्टेट आफ यू०पी० व अन्य** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–04–2022 में प्रतिपादित सिद्धान्त के तहत धारा 156(3) द०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करने से निषेधित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है। आवेदक चाहे तो परिवाद के रूप में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। केस के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(राजेश कुमार–II)

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)

फिरोजाबाद